



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 116]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च 2019

सं.भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./189628.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

- (i) ये विनियम, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019” कहे जाएंगे।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 की अनुसूची में, “पूर्व अपेक्षिताएं” शीर्षक के अंतर्गत, डी.एम. (डॉक्टर) ऑफ मेडिसिन के शीर्षक के अंतर्गत खंड “ग” को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	विशेषज्ञता का क्षेत्र	पूर्व अपेक्षिताएं
8	मेडिकल ऑनकोलॉजी	एम.डी. (जनरल मेडिसिन) एम.डी. (रेडिएशन ऑनकोलॉजी)
31	इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी	एम.डी. (रेडियो-डायग्नोसिस)

3. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में “पूर्व अपेक्षिताएं” शीर्षक के अंतर्गत, एम.सी.एच. (मास्टर ऑफ चिरूरुगि) के शीर्षक के अंतर्गत खंड “घ” को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्र. सं.	विशेषज्ञता का क्षेत्र	पूर्व अपेक्षिताएं
7	सर्जिकल ऑनकोलॉजी	एम.एस. (जनरल सर्जरी)
9	स्त्री रोग-विज्ञान संबंधी ऑनकोलॉजी	एम.डी./एमएस (प्रसूति एवं स्त्री रोग-विज्ञान)
14	सिर एवं गर्दन सर्जरी	एम.एस. (कान, नाक, गला) एम.एस. (जनरल सर्जरी)
15	पुनरुत्पादक मेडिसिन एवं सर्जरी	एम.डी./एमएस (प्रसूति एवं स्त्री रोग-विज्ञान)

डॉ. आर के वत्स, महासचिव
[विज्ञापन- III/4/असा./02/19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017, 31/07/2017, 20/02/2018, 05/04/2018 और 28/01/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**BOARD OF GOVERNORS IN SUPERVISION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March, 2019

No. MCI-18(1)/2018-Med./189628.—In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000.” namely:-

- (i) These regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2019”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In Schedule of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, in Clause “C” under the heading of D.M. (Doctor of Medicine), under heading prior requirement following shall be substituted as under:

S.No.	Area of Specialisation	Prior Requirement
8	Medical Oncology	MD (General Medicine) MD (Radiation Oncology)
31	Interventional Radiology	MD (Radio - diagnosis)

3. In Schedule of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, Clause "D" under the heading of M.Ch. (Master of Chirurgie), under heading prior requirement following shall be substituted as under:

S.No.	Area of Specialisation	Prior Requirement
7	Surgical Oncology	MS (General Surgery)
9	Gynaecological Oncology	MD/MS (Obst. & Gynae.)
14	Head & Neck Surgery	MS (ENT) MS (General Surgery)
15	Reproductive Medicine & Surgery	MD/MS (Obst. & Gynae.)

Dr. R.K. VATS, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./02/18]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended vide Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017, 31/07/2017, 20.02.2018, 05.04.2018 & 28.01.2019